न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 138/2017 (99/2010 प्र.सं. माण्डल) राजस्व वाद

01. लक्ष्मी लाल पुत्र श्री उदा नाई जाति नाई आयु 46 वर्ष निवासी— बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0) ---- वादी

बनाम

01. ईश्वर लाल पुत्र श्री मोहन लाल नाई निवासी— बेमाली मृतक के बजाय कायम मुकाम—

1/1 श्रीमति सोहनी देवी पत्नी स्व0 श्री ईश्वर लाल नाई आयु वयस्क निवासी— बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/2 जीतू पुत्र स्व0 श्री ईश्वर लाल नाई आयु वयस्क निवासी— बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/3 विनोद पुत्र स्व0 श्री ईश्वर लाल नाई आयु वयस्क निवासी— बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/4 नरेश पुत्र स्व0 श्री ईश्वर लाल नाई आयु वयस्क निवासी— बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/5 मुन्नी देवी पुत्री स्व0 श्री ईश्वर लाल .नाई आयु वयस्क निवासी— बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. शांति लाल पुत्र श्री मोहन लाल नाई आयु वयस्क निवासी— बेमाली
03. भंवर लाल पुत्र श्री उदा नाई आयु वयस्क निवासी— बेमाली
04. श्रीमति मोहनी पत्नी श्री उदा नाई आयु वयस्क निवासी— बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, माण्डल जिला भीलवाडा (राज0)

--- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :—

1. श्री शरद पालीवाल ---अधिवक्ता वादी
2. एकपक्षीय— ---प्रतिवादी संख्या 01 से 04
3. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 05

:: निर्णय :: दिनांक— 01.04.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तहसील माण्डल जिला भीलवाडा की खतोनी नम्बर 600 छह सौ मे आराजी नम्बर 2882/1 रकबा 13 तैरह बिस्वा भूमि अन्य आराजी के साथ स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी व प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड़ अधिकारी महोदय, माण्डल जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 212/2008 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 21 इक्कीस नवम्बर 2008 दो हजार आठ को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 दो को होने पर प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो ने दिनांक 20 बीस मई 2009 दो हजार नो को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 चार के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 2882/1 रकबा 13 बिस्वा भूमि से वादी के कब्जे को हटाकर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 दो ने अपना कब्जा कर लिया जबकि उक्त आराजी भू भाग से प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का कोई हक अधिकार नही है। उक्त आराजी नम्बर 2882/1 की पत्थरगढ़ी की गई व पटवारी व गिरदावर द्वारा दिनांक 26 छब्बीस मई 2009 दो हजार नो को मौका पर्चा बनाया गया, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का अवैध कब्जा पाया गया। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी नम्बर 2882/1 रकबा 13 बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 10 दस जून 2010 दो हजार दस को उक्त आराजी नम्बर 2882/1 दो हजार आठ सौ बियासी/एक रकबा 13 तैरह बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 गुस्से मे हो गये तथा वादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो ने वादी को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना , प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो उक्त आराजी से कब्जा नही छोडेगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 दो का कुछ नही बिगाड सकता है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 तीन व 04 चार के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के विरुद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी नम्बर 2882/1 रकबा 13 तैरह बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व बाद तामिल प्रतिवादी संख्या 01 एंव 02 द्वारा काउन्टर वाद पेश किया गया, वादी द्वारा जवाब पेश किया, तत्पश्चात उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़

वादी के अभिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अभिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अभिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर वाद साक्ष्य के अभाव मे खारीज योग्य है। अतः एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 ने सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 2882/1 रकबा 13 बिस्वा पर किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर वाद सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 138/2017 (99/2010 प्र.सं. माण्डल) राजस्व वाद

01. लक्ष्मी लाल पुत्र श्री उदा नाई जाति नाई आयु 46 वर्ष निवासी– बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0) ––– वादी

बनाम

01. ईश्वर लाल पुत्र श्री मोहन लाल नाई निवासी– बेमाली मृतक के बजाय कायम मुकाम–

1/1 श्रीमति सोहनी देवी पत्नी स्व0 श्री ईश्वर लाल नाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/2 जीतू पुत्र स्व0 श्री ईश्वर लाल नाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/3 विनोद पुत्र स्व0 श्री ईश्वर लाल नाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/4 नरेश पुत्र स्व0 श्री ईश्वर लाल नाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/5 मुन्नी देवी पुत्री स्व0 श्री ईश्वर लाल नाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. शांति लाल पुत्र श्री मोहन लाल नाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली

03. भंवर लाल पुत्र श्री उदा नाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली

04. श्रीमति मोहनी पत्नी श्री उदा नाई आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, माण्डल जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.</u>

वादीगण की ओर से श्री शरद पालीवाल , एडवोकेट और प्रतिवादीगण अनुपस्थित की

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 01.04.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य. को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 ने सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 2882/1 रकबा 13 बिस्वा पर किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर वाद सारहीन होने से खारीज किया जाता है।तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

दिनांक— 10/11/16